सम्प्रभुता : अर्थ, परिभाषा एवं लक्षण
(Sovereignty : Meaning Definition and Characteristics)

'प्रभुसत्ता' अथवा 'सम्प्रभुता' राज्य का आवश्यक तत्व है। प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य देश के अन्दर सर्वोपरि होता है तथा विदेशी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। राजनीतिशास्त्र में सम्प्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च सत्ता से है जिसके आदेश व कानून सर्वोपरि अथवा अन्तिम रूप से मान्य होते है।

सम्प्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची 'सावरेनटी' लैटिन शब्द 'सुपर' और 'एनस' से लिया गया है; जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। इस अर्थ को स्वीकार करते हुए विभिन्न विद्वानों ने सम्प्रभुता के सम्बन्ध में विभिन्न विचार व्यक्त किये है।

बोदां :→ "सम्प्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियन्त्रण नहीं है।"

विलोबी :→ **"सम्प्रभुता राज्य की सर्वोपरि या सर्वोत्तम इच्छा है"**

जेंक्स :- "संप्रभुता वह अन्तिम व अमर्यादित अधिकार है जिसकी रचना द्वारा ही नागरिक कुछ कर सकते है।"

उपरोक्त में से कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती। क्योंकि सम्प्रभुता के दो पक्ष होते है - आन्तरिक सम्प्रभुता व बाह्य सम्प्रभुता।

आन्तरिक सम्प्रभुता :→
(Internal Sovereignty) इससे तात्पर्य यह है कि राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति समुदाय व संगठन चाहे कितने भी बड़े हो, राज्य की संप्रभुता से ऊपर नहीं हो सकते।

वाह्य सम्प्रभुता :→ बाहरी सम्प्रभुता का तात्पर्य है
(External Sovereignty) कि कोई भी सम्प्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने व विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करने में

Scanned with CamScanner

पूर्णतः स्वतंत्र होगा। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध तटस्थता, इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है।

Characteristics of Sovereignty

सम्प्रभुता के लक्षण :→ सम्प्रभुता की उपर्युक्त धारणा के आधार पर सम्प्रभुता के प्रमुख से निम्नलिखित लक्षण बताए जा सकते हैं।

1. **निरंकुशता :→** (Autocracy) सम्प्रभुता के इस लक्षण से तात्पर्य है कि जनता के लिए राज्य की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति न राज्य के भीतर और न राज्य के बाहर है। यह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है। ऐसी सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही हो सकती है। इस शक्ति के प्रयोग में चाहे कुछ सीमाएँ माननी पड़े, पर ये सिमाएँ केवल राज्य की ओर से इस शक्ति का प्रयोग करने वालों के ऊपर ही लागू होती है। यह शक्ति स्वयं असीमित है और इसके ऊपर कोई अन्य मानव शक्ति नहीं हो सकती। आन्तरिक संप्रभुता क्षेत्र में सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखती है। बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दुसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में पूर्णतया स्वतंत्र होता है।

2. **मौलिकता :→** (Originality) सम्प्रभुता मौलिक होती है, अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं हो सकती। प्रभुसत्ता का आस्तित्व स्वयं अपने ही अधिकार से है। यदि वह किसी के द्वारा प्रदत्त है तो प्रदत्त करने वाली शक्ति उससे उच्चतर हो जायेगी। अपनी दी हुई वस्तु को उसके द्वारा अपनी इच्छानुसार वापस लिया जा सकेगा। सम्प्रभुता की परिभाषा के अनुसार सम्प्रभुता से उच्च किसी अन्य सत्ता का आस्तित्व असम्भव है।

3. **सर्वव्यापकता :→** (Universal) सम्प्रभुता की सर्वव्यापकता का अर्थ है कि राज्य के अन्तर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है और इनमें से कोई भी

Scanned with CamScanner

सम्प्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। सम्प्रभुता अपनी इच्छा से किसी को भी अपने नियंत्रण से मुक्ती नहीं प्रदान कर सकती है, उदाहरण के लिए विदेशी दूतावास, अपने राज्य के भीतर से गुजरती विदेशी सेनाओं, व्यापारिक प्रतिनिधियों, आदि को अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण सम्प्रभु के नियंत्रण से कुछ रियायतें प्राप्त होती है।

4. **अपृथक्करणीयता (Illegitimacy):** → राज्य से सम्प्रभुता को पृथक करने का अर्थ है राज्य को समाप्त करना। सम्प्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है और उसे अलग करना आत्महत्या के समान है। एक विचार यह भी है कि किसी राज्य के एक खण्ड अथवा भाग किसी अन्य राज्य द्वारा जीत लिये जाने पर उस खण्ड अथवा भाग से सम्बन्धित सम्प्रभुता उस राज्य से पृथक हो जाती है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता उस भाग की सम्प्रभुता का मात्र हस्तांतरण ही होता है।

5. **अनन्यता (Exclusiveness):** → सम्प्रभुता के इस लक्षण से तात्पर्य है कि एक राज्य में कोई और समानान्तर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं हो सकती। **कैटलिन के अनुसार "प्रभुसत्ता एक सम्पूर्ण वस्तु है उसे विभाजित करना उसे नष्ट करना है।"** वैधरूप से आज्ञा-पालन का आदेश देने वाली किसी अन्य शक्ति को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो यह एक राज्य के भीतर एक से अधिक प्रभुशक्तियों का अस्तित्व मान लेना **'राज्य के भीतर राज्य'** की मान्यता को स्वीकार कर लेना और राज्य की एकता को भंग करना है।

Scanned with CamScanner

6. **स्थायित्व** :→ इसका तात्पर्य है कि राज्य की (Permanency) सम्प्रभुता का एक व्यक्ति लम्बे समय तक उपभोग नहीं कर सकता परन्तु सम्प्रभुता अपने स्थान पर स्थायी रहती है। न केवल सरकारों का परिवर्तन बल्कि वरन् एक द्वारा दूसरे राज्य को जीत लेने पर भी मात्र विजित राज्य की प्रमुख शक्ति विजेता राज्य के हाथों में चली जाती है।

7. **अविभाज्यता** :→ सम्प्रभुता के उपरोक्त लक्षणों (Indivisibility) के समान एक प्रमुख लक्षण है अविभाज्यता। सम्प्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। सम्प्रभुता के इस लक्षण का बहुलवादियों द्वारा विरोध किया जाता है जो सम्प्रभुता को विभाजित मानते हैं। संघ राज्य में सम्प्रभुता अविभाज्य होती है यह सम्प्रभुता संविधान में निहित होती है।

उपरोक्त लक्षणों से किसी राज्य की सम्प्रभुता का पूर्ण बोध होता है जो राज्य को सम्पूर्णता प्रदान करता है।

*

Dr. Ambujesh Kumar Mishra
Department of Political Science

Scanned with CamScanner